अधिसूचना

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 911–15/भवन निर्माण–2010 दिनांक 16.09.2010 के माध्यम से **"दुर्घटना सहायता योजना"** अधिसूचित की गयी थी तत्क्रम में बोर्ड की 32वीं बैठक द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर शासनद्वारा प्राप्त अनापत्ति संख्या–3/2016/2002/छत्तीस–2–2015–251(एस0एम0)/95टी0सी–11, दिनांक 12.01.2016 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **"दुर्घटना सहायता योजना"** में निम्नवत संशोधन किये जाते हैः–

प्रस्तर–4, हितलाभ/अनुग्रह धनराशि का विवरण	**1.** पंजीकृत निर्माण श्रमिक के किसी दुर्घटना के फलस्वरूप (कार्यस्थल पर कार्य करते समय) मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रितों को एक मुश्त रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) बतौर तात्कालिक सहायता/अनुग्रह धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा रू0 4.00 लाख (रू0 चार लाख मात्र की धनराशि सावधि जमा के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी जिसका प्रतिमाह ब्याज लाभार्थी श्रमिक के आश्रित द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। परन्तु मृतक श्रमिक की पुत्री की शादी, आश्रितों की गम्भीर बीमारियों के इलाज, मकान बनाने तथा बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु सावधि जमा की धनराशि स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी) की अनुमति से आहरित की जा सकती है। **2.** कार्यस्थल पर कार्य करते समय घटित किसी दुर्घटना के फलस्वरूप लाभार्थी कर्मकार को कोई स्थाई पूर्ण अपंगता/विकलांगता को शत प्रतिशत मानते हुए एक मुश्त रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख मात्र) संबंधित लाभार्थी श्रमिक को बतौर अनुग्रह धनराशि भुगतान किया जाएगा। **3.** यदि पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक की किसी दुर्घटना के फलस्वरूप स्थाई आंशिक अपंगता/विकलांगता की स्थिति उत्पन्न होती है तो रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) संबंधित श्रमिक को बतौर अनुग्रह धनराशि भुगतान किया जाएगा। **4.** कार्यस्थल से इतर किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने अथवा पूर्ण स्थाई विकलांगता की स्थिति में अथवा सामान्य मृत्यु की स्थिति में निर्माण श्रमिक को अथवा उसके आश्रितों को रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) की एक मुश्त सहायता का भुगतान किया जाएगा।

कार्यस्थल से इतर दुर्घटना के फलस्वरूप निर्माण श्रमिक की अस्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिक को मुश्त रू0 1.00 (रू0 एक लाख मात्र) लाख की सहायता प्रदान की जाएगा।

5. यदि कार्यस्थल पर घटित किसी दुर्घटना के फलस्वरूप निर्माण श्रमिक की मृत्यु या विकलांगता हो जाती है और नियोजन द्वारा निर्माण श्रमिक को अथवा उसके आश्रित को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु वाद दायर करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो अधिवक्ता नियुक्ति होने पर निर्माण श्रमिक अथवा उसके आश्रित के निवेदन करने पर अधिवक्ता को रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) फीस का भुगतान किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ, संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। कृपया संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(बी0जे0सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 5247/**भ0नि0बो0(86)-2016** **दिनांक** 15/01/**2016**

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त उ0प्र0, कानपुर (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों कों ई-मेल से प्रेषित करते हुए वेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या-3/2016/2002/छत्तीस-2-2015-251(एस0एम0)/95टी0सी0-11, दिनांक 12.01.2016 के क्रम में सूचनार्थ।

(आर0पी0गुप्ता)
अपर सचिव, बोर्ड।